



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1125/GJ/2/2023-APCR


दिनांक: 23/05/2023

श्री अजय तोमर
पुलिस आयुक्त,
डुमास रोड, चोपाटी, अठवा लाइन्स,
सूरत, गुजरात 395001
Tel. No: 02612244440

विषय: प्रार्थी द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर पत्नी के परिजनों द्वारा मारपीट कर, पत्नी का अपहरण किये जाने और पुलिस द्वारा सही कार्यवाही न किये जाने के संबंध में - श्री गलचर दिनेशभाई रामभाई, सूरत, गुजरात का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री गलचर दिनेश भाई रामभाई से दिनांक 29/12/2023 में एक याचिका/ शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं24645826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री गलचर दिनेशभाई रामभाई
सहारा, दरवाजे के नजदीक, उमरवाड़ा,
सूरत, गुजरात - 395010
मोबाइल नं.-8306482031